

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)(47)नियम/डीएलबी/22/15584


दिनांक: 29/7/22

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 एवं राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम, 1963 के नियम 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग के प्रभावशील आदेश क्रमांक नियम/एफ.3(56)डीएलबी/1980/12377 दिनांक 21.12.1991 बिन्दु संख्या 5 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है:-

"5. ऐसे स्थाई कर्मचारी जिनका स्थानान्तरण दूसरी नगर निगम/परिषद/पालिका में राज्यादेश की वजह से हो गया है, तथा स्थानान्तरित नगर निगम/परिषद/पालिका में उनका पदाधिकार संबंधित कर्मचारी से विकल्प प्राप्त कर स्थानान्तरित नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा राजस्थान सेवा नियम, 1951 के तदसमय प्रभावी नियम 15, 18 व 19 को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट रिक्त पद के विरुद्ध स्वीकार किया जा सकेगा तथा कर्मचारी की वरिष्ठता सेवाकाल के अनुसार निर्धारित की जावेगी।"

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हिदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.8(ग)(47)नियम/डीएलबी/22/15585-16078

दिनांक: 29/7/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।



(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी